

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - प्रथम) मध्य प्रदेश

ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर 474002

क्र./प्रशा/गो.क./गुप-1/2022/

दिनांक : 23/05/2022

कार्यालय आदेश- 453

मुख्यालय के परिपत्र सं. - 03/स्टाफ (नियुक्ति-V)/2021 जारी क्रमांक-166/स्टाफ (नियुक्ति-V)/86-2021 दिनांक 10.05.2022 अनुसार भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के वर्गीकरण में ग्रुप 'बी' से ग्रुप 'ए' में परिवर्तन के फलस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों हेतु डी.ओ.पी.टी. के OM No. 21011/1/2009-Estt (A)-Part दिनांक 01.02.2012 के अनुसार 40 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के केंद्रीय सिविल सेवाओं/पदों के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा परीक्षण की सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

As per the headquarters Circular सं. - 03/स्टाफ (नियुक्ति-V)/2021 issued vide No. 166/स्टाफ (नियुक्ति-V)/86-2021 dated 10.05.2022, subsequent to change in classification of Sr. Audit Officers in IA&AD from Group 'B' to Group 'A', the competent authority has decided to extend the facility of Annual Medical Examination for the Group 'A' officers of Central Civil Services/Posts of and above the age of 40 years to the Senior Audit Officers as per DoPT OM No. 21011/1/2009-Estt (A)-Part dated 01.02.2012.

2. उक्त वर्णित ओ.एम. के पैरा 4 में निहित निर्देशों के अनुसार, 40 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के अधिकारी, Annexure- III (प्रति संलग्न) में चिकित्सा रिपोर्ट का सारांश APAR के Section-I में अपलोड कर सकते हैं। अतः सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

As per the instructions contained in para 4 of the OM *ibid*, officers of age 40 years and above may upload summary of the Medical Report in Annexure-III (copy enclosed) in Section-I of APAR. Therefore, all Senior Audit Officers are directed to comply with the above instructions.

( प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश से जारी )

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
गोपनीय कक्ष

पृष्ठांकन क्र./प्रशा/गो.क./गुप-1/2022/

दिनांक : 23/05/2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव/प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), ग्वालियर
2. सचिव/महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर
3. सचिव/महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल
4. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल
5. उप निदेशक/केंद्रीय प्राप्ति, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर
6. सचिवालय/उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-I), ग्वालियर
7. सचिवालय/उप महालेखाकार/ए.एम.जी. I, II, III, IV एवं V

8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/गोपनीय कक्ष, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली, शाखा ग्वालियर
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/गोपनीय कक्ष, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसोसिएशन, ग्वालियर
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.एस.विंग को कार्यालयीन वेबसाइट एवं इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु
12. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/सचिवालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), ग्वालियर
13. सूचना पटल/गार्ड फाइल

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
गोपनीय कक्ष

**ANNEXURE-III**

- 7 -

**SUMMARY OF MEDICAL REPORT (ONLY COPY OF THIS PART IS TO BE ATTACHED TO APAR)**

1.	Overall Health of the officer	
2.	Any other remarks based on the Health Medical Check- up of the officer	
3.	Health profile grading	

Date:

Signature of Medical Authority  
Designation

Contd.....